

फार्म  
अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2016

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016

- 1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम पुकाड़ा कुमार लहरिया
- 2. वर्तमान धारित पद विधि अधिकारी
- 3. कार्यालय का नाम मुख्य अभियंता (कार्पो. अफ.)
- 4. वर्तमान वेतन ११७१०/-
- 5. भविष्य निधि क्रमांक 25941921
- 6. कर्मचारी संख्या 95971717

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
JDA Scheme नं. 5 विकास नगर जबलपुर	प्लॉट नं. 244 में निर्मित मकान का 1/2 हिस्सा	-	22,00,000/- लगभग	-	मंडल की सेवा में अर्जित के पूर्व स्व. पिता जी द्वारा सन 1984 में JDA से प्लॉट पट्टा पर लेकर सन 1990-91 में मकान निर्माित कराया। JDA का प्रोफेसर काकाजी इष्ट निर्माता स्वयं ही है। सन 2005 में पुनः मकान बनवाते सन के काल में खरीदा।	-	
प्रोफेसर काकाजी ग्राम करमता विन्. जबलपुर	प्लॉट नं. 158 में निर्मित गृह	-	10,00,000/- लगभग	-		-	

हस्ताक्षर.....  
 नाम..... पुकाड़ा कुमार लहरिया  
 पद..... विधि अधिकारी

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।